

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2003

का.आ. 526(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 जुलाई, 1994 की अधिसूचना सं० सां० आ० 521(अ०)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने एतद्वारा सोसाइटी फार एजुकेशन ऑफ दि क्रिप्पलड (बच्चे व वयस्क) अग्रीपाडा म्यूनिसिपल स्कूल भवन, मल्लीवाई स्ट्रीट बम्बई-400001, द्वारा (क) स्वावलम्बी जीवन यापन के लिए सोसाइटी फार एजुरान आफ क्रिप्पलड सेंटर की साज सज्जा और संचालन (ख) सोसायटी फार एजुकेशन आफ क्रिप्पलड एनटॉप हिल स्कूल की साज सज्जा और संचालन के लिए परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 8 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में 17 मार्च , 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 216(अ०)द्वारा संशोधित करके निर्धारण वर्ष 1998-99 से आरम्भ होने वाले तीन वर्ष की अवधि के

लिए बढ़ाया गया था और फिर दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 859(अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की परियोजना लागत को 81.50 लाख रुपए से 175.50 लाख रुपये संशोधित करके आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है:

(क) इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (क) एतद्वारा सोसाइटी फार एजुकेशन आफ क्रिप्पलड (बच्चे व वयस्क) अग्रीपाडा

मूनिसिपल स्कूल बिल्डिंग, मल्टीवाई स्ट्रीट बम्बई 400001 द्वारा चलाई जा रही (क) स्वावलम्बी जीवन यापन के लिए सोसाइटी फार एजुकेशन आफ क्रिप्पलड सेंटर की साज सज्जा और संचालन (ख) सोसायटी फार एजुकेशन आफ क्रिप्पलड एनटॉप हिल स्कूल की साज सज्जा और संचालन की परियोजना को पात्र परियोजना व स्कीम के रूप में वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है; और

(ख) दिनांक 14 जुलाई, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 521(अ०) में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, नामतः:

अतः अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 8 के सामने कालम (4) में जो धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, इसमें “ 81.50 लाख रुपए ” के स्थान पर “ 175.00 लाख रुपए ” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।